

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :- उमा मित्तल आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :-171/2015

1. धर्माराम
2. शम्भाराम पुत्रगण चन्दरुराम
3. नन्दराम
- 1/4. कृष्णलाल पुत्र
- 2/4. अमर पुत्र
- 3/4. रतीराम पुत्र पुत्र श्योकरण पुत्र चन्दरुराम
- 4/4. लिछमा पुत्री
5. जगदीश
6. लीलां देवी पत्नि पन्नाराम पुत्र चन्दरुराम
7. रेवन्तराम
8. रामलाल
9. प्रेम पि. चन्दरुराम
10. अर्जुन
11. राममूर्ति पुत्री पन्नाराम पुत्र चन्दरुराम
12. कमला देवी पत्नि शेराराम पुत्र चन्दरुराम
13. हेतराम पुत्र शेराराम पुत्र चन्दरुराम
14. सरोज पुत्री शेराराम पुत्र चन्दरुराम
15. विनोद पुत्र शेराराम पुत्र चन्दरुराम
16. सन्तो देवी पुत्री चन्दरुराम
17. चावली पुत्री चन्दरुराम
18. सावत्री पुत्री जमना देवी पुत्री चन्दरुराम
19. श्योपत
20. भालाराम पिसरान बिरमा राम
21. रामूराम
22. गुलाबो पत्नि
23. कालूराम पुत्र रणजीत पुत्र बिरमाराम
24. सोहनलाल पुत्र
25. श्योचन्द
26. लिछमा पि. बिरमाराम
27. विमला
28. बुधा



अकवाम मेघवाल
निवासीगण
माणकथेड़ी
तहसील पीलीबंगा
जिला
हनुमानगढ ।



बनाम

1. हरजीराम | पिसरान लाभूराम
2. बेगाराम.
- 3/1. चिमनलाल पुत्र
- 3/2. शिवलाल पुत्र | धन्नाराम
- 3/3. सोहनलाल पुत्र
- 3/4. लाखो देवी पुत्री
- 3/5. सुमित्रा देवी पुत्री
- 3/6. गोमती पत्नि
4. ज्ञाना देवी पत्नि श्रवण राम पुत्र लाधूराम
5. रामस्वरूप पुत्र
6. कृष्ण पुत्र
7. इन्द्राज पुत्र
8. सुन्दर पुत्र
9. ग्यारसी देवी
10. तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।



अकवाम मेघवाल
निवासीगण
माणकथेडी
तहसील पीलीबंगा
जिला हनुमानगढ

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

वादी की ओर से श्री हीरालाल बिरथलिया अधिवक्ता, इस वाद मे आज दिनांक को **उमा मित्तल आर.ए.एस.** उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 53 के अन्तर्गत वाद तहसीलदार पीलीबंगा से प्राप्त विमाजन प्रस्ताव पत्रांक 540 दिनांक 10.06.25 के आधार पर वाद पत्र अन्तिम डिक्री किया जाता है। -

क्रम संख्या	काश्तकार का नाम	कृषि भूमि का विवरण
1	धर्माराम, शम्भाराम, नन्द राम, सन्तो, चावली पुत्र/पुत्री चन्दरूराम 1/2 बहिब, सावत्री पुत्री जमना पुत्री चन्दरूराम 1/10 हिस्सा जगदीश पुत्र चन्दरूराम 1/10 हिस्सा कृष्ण लाल, अमर, रतीराम, लिछमा पुत्र/पुत्री श्योकरण बहिब 1/2 हिस्सा, लीलादेवी पत्नी पन्नाराम, रेवन्तराम, रामलाल, प्रेम, अर्जुन, राममूर्ति पुत्र/पुत्री पन्नाराम 1/10 बहिब कमला देवी पत्नी शेराराम, हेतराम, विनोद, सरोज पुत्र/पुत्री शेराराम 1/10 हिस्सा बहिब जाति मेघवाल साकिन मानकथेडी खातेदार	चक 4 बीआरपी खाता संख्या 72 प.न. 17/359 मु.न. 24 14/2/.228, 16/1/.202, 16/2/.051 रास्ता, 17/.253, 24/1/.126 है. उत्तर, 25/1/.202, 25/2/.051 रास्ता, व खाता संख्या 9 प.न. 17/359 मु.न. 24 किला न. 9/2/.038, 10/3/.063, 11 ता 13 की .759 है. 14/1/.025, 18 ता 20 की .759 है. कुल 2.757 है.
2	श्योपत, भालाराम, रामूराम, लिछमा, विमला, बुधा पुत्र/पुत्री बिरमाराम	चक 4 बीआरपी खाता संख्या 72 प.न. 17/359 मु.न. 24 किला न. 24/2/.127



	6/7 हि. बहिब गुलाबो पत्नी रणजीत कालूराम, सोहनलाल, श्योचन्द पिसरान रणजीत 1/7 हिस्सा बहिब जाति मेघवाल साकिन मानकथेडी	दक्षिण, व खाता संख्या 9 प.न. 17/359 मु. न. 24 किला न. 21 ता 23 की 759 है. प.न. 17/360 मु.न. 25 किला न. 1, 2, 3, 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 8/1 की 1.872 है. कुल 2.758 है.
3	जगदीश, पृथ्वीराज, बलराम, भजनलाल, श्योपतराम पिसरान हरजीराम बहिब 1/4 हिस्सा, बेगाराम पुत्र लाभूराम 1/4 हि. चिमनलाल, शिवलाल, सोहनलाल ललिता उर्फ लाछो, कमला उर्फ सुमित्रा, पुत्र/पुत्री धन्नाराम, गोमती पत्नी धन्नाराम बहिब 1/4 हि. ज्ञानादेवी पत्नी श्रवण कुमार, रामस्वरूप, कृष्णलाल, इन्द्राज, सुरेन्द्र कुमार उर्फ सुन्दर, ग्यारसी देवी पुत्र पुत्री श्रवण कुमार बहिब 1/4 हिस्सा जाति मेघवाल साकिन मानकथेडी खातेदार राहिन हिस्सा जगदीश, पृथ्वीराज, बलराम, भजनलाल, श्योपतराम हिस्सा भारतीय स्टेट बैंक कृषि विकास शाखा हनुमानगढ व सुरेन्द्र कुमार हिस्सा राहिन आरएमजीबी शाखा रामपुरा 36 एसटीजी बी	चक 4 बीआरपी खाता संख्या 72 प.न. 17/359 मु.न. 24 किला न. 4/1/.228, 4/2/.025 रास्ता, 5/1/.177, 5/2/.076 है. रास्ता, 6/1/.177, 6/2/.076 रास्ता, 7/.253 है. 15/1/.202, 5/2/.051 है. रास्ता की 1.265 है.

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न हों तथऱ अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न हों, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं हों की व समस्त प्रकार के भार मुक्त हों तथऱ किसी प्रकार के राजस्व हानि न हों की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथऱ भूमि की किस्म यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 27/10/2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

3
(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
सहायक कमिश्नर सै.ए.वम्
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा
पीलीबंगा